

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक :

/2015

जूला - सौंदरी

दारा आज 24.7.15 को २३५४-८-१५

प्रस्तुति

न्यायालय
राजस्व मण्डल म.प्र.

राजस्व

आवेदक

विरुद्ध

२३५४-८-१५
२६७६९५

उम्मल

अनावेदक

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक १०८९-३/०६ माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक २५.४.१५ को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक २५.४.१५ को आवेदक के अधिवक्ता / अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को २५.४.१५ को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक / बोर्ड पर चर्चा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक १०८९-३/०६ पुन रस्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-1d

दिनांक

स्थान-ग्वालियर

प्रार्थी

(१५ एप्रू८) — ५/५/१५
दूर्घटना-
— गुणा-गुण

XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.2357-दो/15

जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

24-7-15


आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवरस्थी, अभि. उप.। उन्होंने रेस्टोरेशन
आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ।


सदस्य

31-8-15

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार
किया। विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए
कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक आर 1781-दो/07
पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


सदस्य